संख्या-5/2022/791/44-1-2022-25 उ0वे0रि0/ 95

प्रेषक,

के0 एल0 वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी,
समस्त निगम/उपक्रम उत्तर प्रदेश।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 08 सितम्बर, 2022**

विषयः- राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को गम्भीर बीमारी की दशा में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अस्पताल के बाहर उपचार कराने की दशा में व्यय की प्रतिपूर्ति रु0 1.00 लाख तक की सीमा तक ही निदेशक मण्डल को अधिकार दिया गया है। किन्तु निगमों द्वारा रु0 1.00 लाख से अधिक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति चाहे वह भर्ती होकर करायी गयी हो अथवा अस्पताल से बाहर रहकर करायी गयी हो, दोनों स्थिति में सार्वजनिक उद्यम विभाग की अनुमति निगमों द्वारा मांगी जाती है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2461/चौवालिस-1/1988-13/उ0वे0रि0/88, दिनांक 08 नवम्बर, 1988 तथा शासनादेश संख्या-187/चौवालिस-1/1992-13/उ0वे0रि0/88, दिनांक 11 मार्च, 1992 एवं इस क्रम में निर्गत शासनादेश चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में संख्या-718/ 44-1-2013-25 उ0वे0रि0/1995, दिनांक 13 फरवरी, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार अपने स्तर से कार्यवाही करें। प्रश्नगत उक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था से यदि कोई विचलन हो रहा हो तो उसके लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

भवदीय,
(के0 एल0 वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-5/2022/791(1)/44-1-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शासन के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रमुख सचिव/सचिव।
2. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो जवाहर भवन, लखनऊ।
3. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(के0 एल0 वर्मा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in